कर्मचारी भविष्य निधि एव ंप्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
(1952 का अधिनियम संख्या 19)

कारखानों एवं अन्य स्थापनाओं के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पेंशन निधि) और जमा सहबद्ध बीमा निधि की स्थापना के प्रयोजन के लिए अधिनियम।

संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएः-

1. नाम सक्षेप, विस्तार एवं लागू होना -

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
(2) इसका प्रभाव क्षेत्र (विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत है।)
(3) धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह-

(क) ऐसी प्रत्येक स्थापना जो कि अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी भी उद्योग के अंतर्गत एक कारखाना है तथा जिसमें (बीस) या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, और

(ख) बीस या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली ऐसी अन्य किसी स्थापना या स्थापना के वर्ग, जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगाः

परंतु बीस व्यक्तियों से कम की निश्चित संख्या में जिसका अधिसूचना में उल्लेख हो, नियोजित करने वाली स्थापना पर इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसा करने के आशय का कम से कम दो माह का नोटिस देकर केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू कर सकेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (3) या धारा 16 की उपधारा (1) में से किसी तथ्य के बावजूद केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को चाहे इस निमित्त आवेदन किया गया हो या अन्यथा यह भान हो कि किसी स्थापना के नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बहुमत के बीच सहमति हुई है, इस अधिनियम के प्रावधान उस स्थापना पर लागू किया जाए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को, इस निमित्त सहमत तिथि पर या उस तिथि से अथवा सहमति के बाद की किसी अन्य तिथि से, लागू कर सकेगा।

(5) किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम हो जाने के तथ्य के बावजूद वह स्थापना, जिस पर यह अधिनियम लागू है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत बना रहेगा।

*2. **परिभाषाएंः-*** जब तक अन्यथा संदर्भ न हो, इस अधिनियम मेंः-

(ए) ***"समुचित सरकार"*** से तात्पर्य हैः-

(i) केंद्र सरकार से संबंधित या नियंत्रण के अधीन स्थापना के सबंध में, या रेल कंपनी, बड़ा बंदरगाह, खान या शिला-तैल क्षेत्र (आयल फील्ड) या नियन्त्रित उद्योग (या वह

स्थापना जिसके विभाग या शाखाएँ एक से अधिक राज्य में हो, के संबंध में) केंद्रीय सरकार; तथा

(ii) अन्य किसी भी स्थापना के संबंध में राज्य सरकार;

(एए) ***"प्राधिकृत अधिकारी"*** से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि उप-आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अन्य ऐसा अधिकारी जिसको केंद्रीय सरकर द्वारा राजकीय राजपत्र में अधसूचित किया हो, का तात्पर्य है;

(बी) ***" मूल वेतन"*** का तात्पर्य नियेजन संबंधी शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा कार्य-समय या सवेतन अवकाश या सवेतन छट्टियों के दौरान कमाए जाने वाली सभी राशियां (परिलब्धियां) जो कि उसे नकद दी जाएँ या देय हो से हैं, किंतु उनमेंः-

(i) किसी भी खाद्य- राहत की नकदी राशियां;

(ii) महंगाई-भत्ता (जिसे कि जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि के पेटे, चाहे किसी भी नाम से दिया जाए, दिए जाने वाले भुगतान कह सकते हैं), मकान-किराया भत्ता, उपरिसमय कार्य भत्ता, बोनस, कमीशन या अन्य कोई ऐसा ही भत्ता जो कर्मचारी को नियोजन के लिए या ऐसे नियोजन में किए गए काम के लिए देय होः-

(iii) नियोजन द्वारा दी गई अन्य कोई भेंट,

(सी) ***"अंशदान"*** का तात्पर्य योजना के अंतर्गत सदस्य के लिए देय अंशदान (या जिस पर बीमा योजना लागू है, उस कर्मचारी के लिए देय अंशदान) से है;

(डी) ***"नियंत्रित उद्योग"*** का तात्पर्य ऐसे उद्योग से है जिनको भारत सरकार (संघ) द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से जनहित में हितकर मानकर नियंत्रित घोषित किया गया हो;

(ई) ***"नियोक्ता (या नियोजक)"*** से तात्पर्य हैः-

(i) फैक्ट्री स्थापना के मामले में फैक्ट्री मालिक या कब्जेदार, इनमें ऐसे मालिक या कब्जेदार या एजेंट, स्वर्गवासी मालिक या कब्जेदार का कानूनी प्रतिनिधि, जहां किसी व्यक्ति को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63वां अधिनियम) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अतंर्गत व्यवस्थापक की संज्ञा दी हो, ऐसा व्यक्ति; और

(ii) किसी अन्य स्थापना के मामले में वह व्यक्ति या प्राधिकार जो स्थापना के कार्यकलापों पर सर्वोपरि नियंत्रण रखता हो, और जहां पर ये कार्य-कलाप व्यवस्थापक, प्रबंध निदेशक वा प्रबंध प्रतिनिधि (एजेंट) को दिए गए हों, वहां ऐसे व्यवस्थापक प्रबंध निदेशक, या प्रबंध प्रतिनिधि;

(एफ) ***''कर्मचारी ''*** से तात्पर्य हैः- कोई भी वह व्यक्ति, जो मजदूरी के लिए, (किसी स्थापना) में या उससे संबंधित कार्य के लिए नियोजित हो, तथा जो नियोक्ता से सीधे या अन्य माध्यम से अपनी मजदूरी प्राप्त करता हो; (तथा इसमें वे व्यक्ति, जो;)

(i) स्थापना में या उससे संबंधित कार्य के लिए किसी ठेकेदार के द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो;

(ii) लगाए गए प्रशिक्षु (अप्रेंटिस), जो अप्रेंटिस अधिनियम, 1961(1961 का 52वां अधिनियम) के अंतर्गत या स्थापना में स्थायी आदेशों के अंतर्गत लगाए गए प्रशिक्षु नहीं है; भी शामिल है।;

(एफएफ) ''छूट प्राप्त कर्मचारी'' से तात्पर्य हैः- वह कर्मचारी, जिस पर योजना (या बीमा योजना, जैसा भी प्रसंग हो) लागू होती यदि धारा 17 के अंतर्गत छूट नहीं दी जाती;

(एफएफएफ) ''छूट प्राप्त (स्थापना) से तात्पर्य हैः- वह (स्थापना) जिसके लिए धारा 17 के अंतर्गत योजना (या बीमा योजना, जैसा भी संदर्भ हो) के सभी या किंन्ही प्रावधानों के लागू प्रभाव से छूट मंजूर की गई हो, चाहे वह छूट पूरी (स्थापना) या नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी के लिए मंजूर की गई हो;

(जी) ***''कारखाना''*** से तातर्य हैः- वह भवन, जिसमें उसका परिसर भी शामिल है, जिसके किसी भाग में ऊर्जा की सहायता से या बिना ऊर्जा की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है या आमतौर पर ऐसा किया जाता है;

(एच) ***''निधि''(या फंड)''*** का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत स्थापित भविष्य निधि से है;

(आई) ***''उद्योग''*** का तात्पर्य अनुसूची-। में वर्णित किसी भी उद्योग से है, और जिसमें धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा जोड़े गए दूसरे उद्योग भी शामिल हैं;

(आई ए) ***''बीमा निधि''*** का मतलब धारा 6-सी की उपधारा (2) के अंतर्गत स्थापित निक्षेप संबद्ध निधि से है;

(आई बी) ***''बीमा योजना''*** का मतलब धारा 6-सी की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा योजना से है;

(आई सी.) ***''उत्पादन'' या ''उत्पादन प्रक्रिया''*** से तात्पर्य हैः- किसी वस्तु या माल का उसके उपभोग, विक्रय, परिवहन, सपुर्दगी या व्यर्थ करने (फैंकन) के विचार से बनाने, परिवर्तन करने सुधारने, सजावट करने, अंतिम रूप देने, बांधने (पैक करने), तेल देने, धोने, सफाई करने, तोड़ने, विनष्ट करने या अन्य प्रकार से साधने या अंगीकार करने की प्रक्रिया;'

(जे) ***''सदस्य''*** का मतलब निधि के सदस्य से है,

(के) ***''कारखाने के कब्जेदार''*** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कारखाने के कार्यकलाओं पर सर्वोपरि नियंत्रण रखता हो और जहां पर ये कार्यकलाप प्रबंध प्रतिनिधि (एजेंट) को दे रखे हों, वहां पर ऐसा एजेंट कारखाने का कब्जेदार माना जाएगा।

(के-ए) ***''पेंशन निधि''*** से तात्पर्य है धारा 6ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी पेंशन निधि;

(केबी) ***''पेंशन योजना''*** ये तात्पर्य है धारा 6ए की उपधारा (1) के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना;

(केए) ***''निर्धारित''*** का मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के द्वारा निर्धारित, है;

(केबी) ***''वसूली अधिकारी''*** का तात्पर्य है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या धारा 5ए के अंतर्गत कायम किए गए न्यासी बोर्ड का कोई भी अधिकारी जिसको केंद्रीय सरकार राजपत्र मं अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम कें अंतर्गत दी गई वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करे;

(एल) ***''योजना''*** से तात्पर्य है धारा 5 के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना;

(एल एल) पेंशन योजना के सदस्य बने कर्मचारी के संदर्भ में 'वृद्धावस्था'' से तात्पर्य है उस कर्मचारी द्वारा अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना;

(एम) ***''अधिकरण''*** से तात्पर्य है धारा 7-डी के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण;

2-ए. स्थापना में सभी विभाग एवं शाखाएं शामिल होगी:-

संदेहों के निवारण के लिए यहां यह घोषणा की जाती है कि जहां एक स्थापना के विभिन्न विभाग या शाखाएं चाहे उसी स्थान पर या विभिन्न स्थानों पर अवस्थित हों, ऐसे सभी विभाग या शाखाएं उसी स्थापना का भाग मानी जाएंगी।

3. दूसरी स्थापना के साथ भविष्य निधि में सहभागी स्थापना पर अधिनियम लागू करने की शक्ति:- जहां इस अधिनियम के किसी स्थापना पर लागू होने के तत्काल पूर्व उस स्थापना में नियोजित कर्मचारियों तथा किसी अन्य स्थापना में नियोजित कर्मचारियों के लिए एक ही भविष्य निधि का अस्तित्व हो, उस दशा में केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी अन्य स्थापना पर लागू होंगे जिस पर अधिनियम लागू नहीं किया गया है या लागू नहीं होता है।

4. अनुसूची एक में और जोड़ने की शक्ति:-

(1) किसी भी दूसरे उद्योग को जिसके कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सरकार य धारणा कायम करे कि उनके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत एक भविष्य निधि योजना बनाई जाए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अनुसूची एक में उस उद्योग को और जोड़ सकती है, तथा तदुपरांत वह और जोड़ा गया उद्योग इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए अनुसूची एक में वर्णित उद्योग माना जाए।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई सभी अधिसूचनाएं यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखी जाएंगी।

5. कर्मचारी भविष्य निधि योजना:-

(1) कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों की किसी श्रेणी के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से एक योजना बनाएगी जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना कहलाएगी तथा

(स्थापनाओं) या स्थापनाओं की श्रेणी का उल्लेख करेगी; जिन पर कि उक्त योजना लागू होगी तथा योजना बनाए जाने के उपरांत इस अधिनियम तथा योजना के प्रावधानों के अनुसार एक निधि (फंड) की यथा शीघ्र स्थापना होगी।

(1ए) इस निधि का संपूर्ण हित एवं प्रशासन धारा 5-ए के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय-बोर्ड में निहित होगा।

(1बी) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अंतर्गत बनाई गई योजना में अनुसूची-।। में वर्णित किन्हीं या सभी विषयों के प्रावधान किए जा सकेंगे।

(2) उपधारा 1 के अंतर्गत बनाई गई योजना के किन्हीं प्रावधानों को आगे की या पीछे की, जो योजना में उल्लिखित हो; तारीख से लागू करने का प्रावधान किया जा सकेगा।.

5-ए केंद्रीय बोर्ड :- (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिसका उसमें उल्लेख हो, उस तारीख से इस अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की सदस्यता वाले एक न्यासी बोर्ड, इस अधिनियम में आगे जिसे केंद्रीय बोर्ड कहा गया है, का गठन कर सकेगी-

(ए) एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त हों;

(एए) पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त;

(बी) केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त, जो पांच से अधिक न हों;

(सी) ऐसी राज्य सरकारों, जिन्हें केंद्रीय सरकार उल्लिखित करें, के प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार नियुक्त करे, जो पंद्रह से अधिक न हों;

(डी) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त नियोक्ताओं के संगठनों से सलाह के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दस व्यक्ति जो ऐसे नियोक्तओं का प्रतिनिधित्व करें जिनकी स्थापनाओं पर योजना लागू है;

(ई) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दस व्यक्ति जो योजना के अधीन आने वाली स्थापनाओं के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करें।

(2.) केंद्रीय बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति के नियम, शर्तें तथा केंद्रीय बोर्ड की मीटिंग, स्थान एवं प्रक्रिया वे ही होंगी जिनका योजना में प्रावधान किया गया हो।

(3.) धारा 6 तथा धारा 6सी के प्रावधानों के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड उसमें निहित निधि का योजना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासन करेगा।

(4.) योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना द्वारा उनके किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक अन्य कार्यों का निर्वहन केंद्रीय बोर्ड करेगा।

(5.) केंद्रीय बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह के उपरांत केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना में उल्लिखित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के अनुसार अपने आय-व्यय के लेखे को समुचित रूप से रखेगा।

(6.) केंद्रीय बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवर्ष करेंगे तथा ऐसी लेखा परीक्षा के लिए किया गया कोई भी व्यय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(7.) राजकीय लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो अधिकार तथा सम्मान तथा प्राधिकार प्राप्त है; केंद्रीय बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए भारत कें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को तथा उसके लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी वे ही प्राप्त होंगे तथा विशेषतया, पुस्तकें, लेखे, संबंधित वाऊचर, दस्तावेज तथा कागजातों को प्रस्तुत करने को कहने तथा निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(8.) भारत कें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड के प्रमाणित लेखे, ऑडिट-रिपोर्ट के साथ केंद्रीय बोर्ड को प्रेषित करेगा जिसे केंद्रीय बोर्ड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों के साथ केंद्रीय सरकार को प्रेषित करेगा।

(9.) केंद्रीय बोर्ड की केंद्रीय सरकार को अपने कार्यों एवं गतिविधियों की एक वार्षिक रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी होगी, तथा केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, ऑडिट किए हुए लेखे, इन पर भारत कें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर केंद्रीय बोर्ड की टिप्पणियों के साथ संसद के प्रत्येक सदन में रखेगी।

5-एए. कार्यकारिणी समिति:-

(1) केंद्रीय बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए केंद्रीय सरकार; राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें दर्शाई तिथि से एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य के रूप में होंगे:-

(ए) केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष;

(बी) धारा 5ए की उपधारा 1 के खंड-बी में उल्लिखित व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति;

(सी) धारा 5ए की उपधारा 1 के खंड-सी में उल्लिखित व्यक्तियों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति;

(डी) धारा 5ए की उपधारा 1 के खंड-डी में उल्लिखित व्यक्तियों में से नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(ई) धारा 5ए की उपधारा 1 के खंड-ई में उल्लिखित व्यक्तियों में से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(एफ) पदेन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

(3) वे नियम व सेवा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड के सदस्य कार्यकारिणी समिति के लिए चुने या नियुक्त किए जा सकेंगे तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों का स्थान, समय एवं प्रक्रिया वे ही होगी जिनका उल्लेख योजना में किया जाए।

5-बी. राज्य बोर्डः-

(1) योजना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किसी राज्य सरकार से विचार विमर्श के उपरांत केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उस राज्य के लिए न्यासियों के एक बोर्ड का गठन कर सकेंगी जिसे इस अधिनियम में आगे राज्य बोर्ड के रूप में कहा गया है।

(2) राज्य बोर्ड केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसे कार्य भार एवं शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए कहें, करेगा।

(3) राज्य बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के नियम व शर्तें तथा राज्य बोर्ड की मीटिंग का समय, स्थान एवं प्रक्रिया वे ही होंगी जिनका कि योजना में प्रावधान किया गया हो।

5-सी. न्यासी बोर्ड एक निगमित इकाई होगाः-

धारा 5-ए या धारा 5-बी के अंतर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड इसे स्थापित करने वाली अधिसूचना में उल्लिखित नाम के अंतर्गत एक निगमित ईकाई होगा जिसका नैसर्गिक उत्तराधिकार तथा सामान्य सील होगी तथा उक्त नाम से ही दावा करेगा या उस पर दावा किया जा सकेगा।

5-डी. अधिकारियों की नियुक्तिः-

(1) केन्द्रीय सरकार एक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो कि केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा बोर्ड के सामान्य नियंत्रण एवं मातहत होगा।

(2) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार एक वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति करेगी।

(3) योजना में उल्लेखानुसार, अधिकतम वेतन सीमा के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना के बेहतर प्रशासन के लिए जितने आवश्यक समझे यथासंख्य अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप-भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा।

(4) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी या केंद्रीय बोर्ड के अधीन अन्य पद जिनका वेतनमान केंद्रीय सरकार के अधीन श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' के वेतनमान में समान हो पर संघीय लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना नियुक्ति नहीं की जा सकेगीः

परंतु यदि ऐसी नियुक्तिः-

(ए) एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं है, या

(बी) जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, यदि नियुक्ति के समय वहः-

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है, या

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय बोर्ड की श्रेणी 'ए' या श्रेणी 'बी' के पद पर सेवारत है,

तो उनके संबंध में ऐसी सलाह आवश्यक नहीं होगी।

(5) राज्य बोर्ड संबंधित राज्य सरकार के अनुमोदन से जैसा वह उचित समझे कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा।

(6) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते, अनुशासन तथा अन्य सेवा शर्तें केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लेखानुसार होंगी तथा ये वेतन एवं भत्ते निधि में से भुगतान किए जाएंगे।

(7) (ए) अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप-भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया, वेतन एवं भत्ते, अनुशासन तथा अन्य सेवा शर्तें, वे ही होंगी जो समकक्ष वेतनमान प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में लागू नियमों एवं आदेशों को ध्यान में रखकर केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएं।

परंतु जहां केंद्रीय बोर्ड को आवश्यक प्रतीत हो कि किसी मामले में उक्त नियमों एवं आदेशों से भिन्न कदम उठाए जाए तो वह केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

(बी) खंड (ए) के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमान का पता लगाने के लिए, केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अतंर्गत ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, चयन की प्रक्रिया, कार्यभार, एवं जिम्मेदारियों का ध्यान रखेगा तथा कोई संदेह होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगा। जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(8) राज्य बोर्ड के कर्मचारियों के चयन का तरीका, वेतन एवं भत्ते, अनुशासन तथा अन्य सेवा शर्तें वे ही होंगी जो कि संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से वह बोर्ड निर्धारित करे।

5-डीडी. कुछ आधारों पर केंद्रीय बोर्ड या इसकी कार्यकारिणी समिति या राज्य बोर्ड के कार्य एवं कार्यवाहियां अप्रभावी नहीं होगी:- केंद्रीय बोर्ड या धारा 5-एए के अंतर्गत गठित कार्यकारिणी समिति या राज्य बोर्ड द्वारा किया गया कार्य या की गई कार्यवाही पर केवल इस आधार पर एतराज नहीं किया जा सकेगा कि केंद्रीय बोर्ड या कार्यकारिणी समिति या राज्य बोर्ड, जैसा भी संदर्भ, हो में कोई स्थान रिक्त है, या इनके गठन में कोई त्रुटि है।

5-ई. अधिकार भार का हस्तांतरण :- योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना के प्रभावी प्रशासन के लिए जैसा उचित समझें, ऐसी शर्तों एवं सीमाओं के अधीन जैसा ये उल्लेख करें केंद्रीय बोर्ड कार्यकारिणी समिति को या बोर्ड के अध्यक्ष को या इसके अपने किसी अधिकारी को तथा राज्य बोर्ड अपने अध्यक्ष को या इसके अपने किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें उपलब्ध अधिकारों एवं कार्यों का हस्तांतरण कर सकेंगे।

6. अंशदान एवं वे विषय जिनका योजनाओं में प्रावधान किया जा सकेगा :-

निधि में नियोक्ता द्वारा जो अंशदान दिया जाएगा, वह प्रत्येक कर्मचारी को चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी ठेकेदार या उसके माध्यम से नियोजित हो, तत्समय भुगतान योग्य मूल वेतन,

महंगाई भत्ता तथा रिटेनिंग एलाउंस (यदि को हो) का दस प्रतिशत होगा, तथा कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता द्वारा उसके लिए देय अंशदान के समान होगा, तथा यदि कोई कर्मचारी चाहे तो, उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रिटेनिंग एलाउंस (यदि कोई हो) के दस प्रतिशत से अधिक का (अंशदान) दे सकेगा, लेकिन नियोक्ता इस धारा के अंतर्गत उसके द्वारा देय अंशदान से अधिक देने के लिए बाध्य नहीं होगाः

परंतु, जांच पड़तान के उपरांत यदि उचित समझे तो, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह उल्लेख कर सकेगी कि किसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी पर यह धारा लागू होते समय इसमें आए दोनों स्थान पर दस प्रतिशत के स्थान पर बारह प्रतिशत करके जाना जाएगा।

परंतु, इस अधिनियम के अंतर्गत देय कोई अंशदान यदि रूपए के भाव में होता हो तो उसे निकटतम रूपए, आधे रूपए या चौथाई रूपए में करने का प्रावधान योजना में हो सकेगा।

स्पष्टीकरण 1:- इस धारा के उद्देश्य के लिए किसी खाद्य राहत भत्ता मूल्य को महंगाई भत्ते में शामिल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:- इस धारा के उद्देश्य के लिए 'रिटेनिंग अलाउस' का तात्पर्य किसी कारखाने या अन्य स्थापना के कर्मचारी को उस स्थापना में किसी भी अवधि के लिए कार्यरत नहीं रहने की दशा में उसकी सेवाओं को बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है।

6.ए ***कर्मचारी पेंशन योजना :-*** (1) केंद्रीय सरकार राज-पत्र में अधिसूचना जारी करके -

(ए) किसी भी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, के कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन या स्थाई एवं पूर्ण विकलांगता पेंशन, तथा

(बी) ऐसे कर्मचारियों के हितलाभ प्राप्त करने वालों को देय विधवा या विधुर पेंशन, संतान पेंशन या विकलांगता पेंशन,

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना बनाएगी जो कर्मचारी पेंशन योजना के नाम से जानी जाएगी।

(2) धारा 6 के किन्हीं प्रावधानों के बावजूद, पेंशन योजना बनाए जाने के तत्काल पश्चात् पेंशन निधि स्थापित होगी, जिसमें समय-समय पर पेंशन योजना के प्रत्येक सदस्य के लिए-

(ए) जैसा कि पेंश योजना में उललेख किया जाए, धारा 6 के अंतर्गत देय नियोक्ता के अंशदान की राशि का वह भाग जो संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा

रिटेनिंग अलाउंस, यदि हो, का आठ और एक तिहाई (8-1/3) प्रतिशत से अधिक न हो,

(बी) धारा 17 की उपधारा (6) के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ता द्वारा ये राशियां भुगतान योग्य हों;

(सी) पेंशन निधि की स्थापना की तारीख को उपलब्ध कर्मचारी परिवार पेंशन निधि की संपूर्ण परिसंपत्तियां;

(डी) संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए जाने के उपरांत जैसा निर्धारित किया जाए, वह राशि केंद्रीय सरकार द्वारा,

भुगतान किया जाएगा।

(3) पेंशन निधि की स्थापना के उपरांत परिवार पेंशन योजना जिसे आगे समाप्त योजना कहा गया है, का प्रचलन समाप्त हो जाएगा, तथा समाप्त योजना की सभी परिसंपतियां पेंशन निधि में समाहित एवं स्थानांतरित हो जाएंगी तथा समाप्त योजना के अंतर्गत की सभी देनदारियां पेंशन निधि में से दी जाएंगी तथा समाप्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन निधि से ये लाभ, जो समाप्त योजना में उपलब्ध लाभों से कम नहीं होंगे, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(4) पेंशन निधि का हित एवं प्रशासन केंद्रीय बोर्ड में निहित होगा।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अनुसूची तीन में उल्लिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए पेंशन योजना में प्रावधान किए जा सकेंगे।

(6) पेंशन योजना में यह प्रावधान किया जा सकेगा कि इसके सभी या कोई भी प्रावधान पिछली या आगे की किसी भी तिथि से, जैसा उल्लेख किया जाए, प्रभावी हो सकेगा।

(7) उपधारा (1) कें अंतर्गत बनाई गई पेंशन योजना, बनाए जाने के उपरांत यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में, जब संसद का एक या दो या अधिक क्रमिक अधिवेशनों की कुल तीस दिन की अवधि का अधिवेशन हो, रखी जाए तथा यदि उस अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व उक्त अधिवेशन के तत्काल बाद वाले अधिवेशन में दोनों सदन योजना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन ऐसी योजना नहीं बनाने के लिए सहमति होते हैं तो वह योजना इसके उपरांत अपने संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसी भी सहमति हो, अतः ऐसा संशोधन या समाप्ति योजना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधानिकता को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

6 सी कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजनाः-

(1) जिस स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी पर यह अधिनियम लागू होता है, उसके कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक योजना बनाएगी जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना कहलाएगी।

(2) बीमा योजना बनाए जाने के तत्काल बाद निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि की स्थापना होगी जिसमें प्रत्येक नियोक्ता द्वारा, उन कर्मचारियों के लिए, जिनका वह नियोक्ता है, उनके कुल मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रिटेनिंग एलाउंस यदि कोई हो जो फिलहाल उन्हें देय हो, की रकम जो एक प्रतिशत से अधिक न हो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, राशियां दी जाएंगी।

स्पष्टीकरणः- इस उपधारा के उद्देश्य के लिए ''महंगाई भत्ता'' तथा ''रिटेनिंग एलाउंस'' का वही अर्थ होगा जो धारा 6 में है।

(3) (XXX)

(4) (ए) नियोक्ता बीमा निधि में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित, जो उपधारा (2) के अंतर्गत उसके द्वारा देय अंशदान के एक चौथाई से अधिक न हो, अतिरिक्त और राशियां बीमा योजना के प्रशासनिक खर्च के लिए , जो उस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों के मूल्य के अलावा हों, देगा।

(बी) (XXX)

(5) बीमा निधि केंद्रीय बोर्ड में निहित होगी तथा बीमा योजना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासित की जाएगी।

(6) अनुसूची चार में वर्णित सभी या किन्हीं विषयों के प्रावधान बीमा योजना में किए जा सकेंगे।

(7) बीमा योजना में ऐसे प्रावधान किए जा सकेंगे कि उसके प्रावधान भावी या पिछली ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो उक्त योजना में उल्लिखित हों।

6-डी योजनाओं को संसद में प्रस्तुत करनाः- धारा 5, धारा 6ए तथा धारा 6सी के अंतर्गत बनाई गई प्रत्येक योजना, बनाए जाने के उपरांत यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में, जब संसद का एक या

दो या अधिक क्रमिक अधिवेशनों की कुल तीस दिन की अवधि का अधिवेशन हो, रखी जाए, तथा यदि उस अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व या उक्त अधिवेशन के तत्काल बाद वाले अधिवेशन में दोनों सदन योजना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन ऐसी योजना नहीं बनाने के लिए सहमत होते हैं तो वह योजना इसके उपरांत अपने संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी जैसी भी सहमति हो, अतः ऐसा संशोधन या समाप्ति योजना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधानिकता को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

7. योजना में संशोधनः-

(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना में, जैसा भी मामला हो, जोड़ सकेगी, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी, जो कि भावी या पिछली किसी तारीख से प्रभावी किए जा सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के उपरांत, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में, जब संसद के एक या दो या अधिक क्रमिक अधिवेशनों की कुल तीस दिन की अवधि का अधिवेशन है, रखी जाएगी; तथा यदि उस अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व या उक्त अधिवेशन के तत्काल बाद वाले अधिवेशन में दोनों सदन अधिसूचना कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन ऐसी अधिसूचना जारी नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, तो वह अधिसूचना अपने संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी; जैसी भी सहमति हो, अतः ऐसा संशोधन या समाप्ति अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधनिकता को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

7-ए नियोक्ताओं द्वारा देय राशियों का निर्धारण :- (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोई अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कोई उप भविष्य निधि आयुक्त, कोई क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या कोई सहायक भविष्य निधि आयुक्त आदेश के माध्यम से-

(ए) जहां किसी स्थापना पर इस अधिनियम को लागू किए जाने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, वहां ऐसे मतभेद का निर्णय कर सकता है; और

(बी) इस अधिनियम के या भविष्य निधि योजना के या पेंशन योजना के या बीमा योजना के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता द्वारा देय राशियों का निर्धारण कर सकता है,

तथा उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए जैसे वह चाहे, जांच पड़ताल की कार्यवाही कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) कें अंतर्गत जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी को ऐसी जांच पड़ताल के लिए वे ही अधिकार होंगे जैसे कि एक अदालत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का पांचवा अधिनियम) के अंतर्गत दावे की सुनवाई के लिए निम्नलिखित मामलों में अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात्-

(ए) किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करना या उससे शपथ-पत्र के रूप में बयान लेना;

(बी) दस्तावेजों की खोजबीन और प्रस्तुतिकरण के लिए बाध्य करना;

(सी) हल्फनामें पर गवाही लेना;

(डी) गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशन नियुक्त करना;

और ऐसी प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 का 45वां अधिनियम, की धारा 193 व 228 के दायरे में तथा धारा 196 के उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया मानी जाएगी।

(3) संबंधित नियोक्ता को उसका अपना पक्ष प्रस्तुत करने के समुचित अवसर दिए बगेर उपधारा (1) के अंतर्गत कोई भी आदेश नहीं दिए जाएंगे।

(3ए) उपधारा (1) के अंतर्गत जांच पड्ताल के लिए अपेक्षित नियोक्ता, कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना समुचित कारण बताए हाजिर होने में असफल होता है या जिसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या रिपोर्ट या रिटर्न देने के लिए कहा जाए, वह देने में असफल होता है तो सुनवाई करने वाला अधिकारी सुनवाई के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर अधिनियम के लागू किए जाने संबंधी मामले को निर्धारित कर सकता है और नियोक्ता द्वारा देय राशियों का निर्धारण कर सकता है।

(4) अगर उपधारा (1) के अंतर्गत नियोक्ता के विरूद्ध "एक तरफा" आदेश पारित किए गए हों, तो वह नियोक्ता उस अधिकारी को वह आदेश निरस्त करने के लिए आदेश की सूचना प्राप्त होने से तीन माह की अवधि में आवेदन कर सकता है। यदि वह उस अधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि "कारण बताओ" नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुआ या अन्य किसी पर्याप्त कारण से वह सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सका, तो वह अधिकारी आदेश के जरिए अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर सकेगा तथा सुनवाई पुनः शुरू करने की नई तारीख निश्चित कर सकेगाः

परंतु केवल इस आधार पर ऐसा आदेश निरस्त नहीं किया जा सकेगा कि कारण बताओ नोटिस की सर्विस नियमित समय पर नहीं हुई थी और अधिकारी संतुष्ट हैं कि नियोक्ता को

सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का पर्याप्त समय था।

स्पष्टीकरणः- अगर एक तरफा आदेश के खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत अपील की गई हो और अपील वापस लेने के अलावा अन्य प्रकार से अपील का फैसला हुआ हो तो इस उपधारा के अंतर्गत, एक तरफा आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

(5) इस धारा के अंतर्गत पारित किए गए आदेशों को विरोधी पक्ष को तत्संबंधी सूचना तामील हुए बिना उपधारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर निरस्त नहीं किय जा सकेगा।

7-बी. धारा 7ए के अंतर्गत पारित आदेशों का पुनरावलोकनः-

(1) धारा 7-ए की उपधारा (1) के अंतर्गत पारित आदेश, जिसकी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपील नहीं की गई हो, से प्रभावित कोई भी व्यक्ति, जो कि अपनी पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी ध्यान में नहीं आने के कारण या आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका ऐसा नया तथ्य या साक्ष्य प्रकट होने पर या प्राथमिक रूप से रिकार्ड पर हुई गलती या चूक या अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर पुनरावलोकन प्राप्त करना चाहे, वह आदेश पारित करने वाले अधिकारी को पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकेगाः

परंतु आदेशपारित करने वाला अधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर अपने आदेश का पुनरावलोकन कर सकेगा, बशर्ते वह ऐसे ही किसी कारण से संतुष्ट होकर ऐसा करना आवश्यक समझे।

(2) उपधारा 1 के अंतर्गत योजना में किए गए प्रक्रिया, समयावधि एवं प्रपत्र संबंधी प्रावधानों के अनुसार ही पुनरावलोकन आवेदन पत्र दिया जा सकेगा।

(3) जहां पुनरावलोकन का आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी को लगे कि पुनरावलोकन के कारण पर्याप्त नहीं है, वह उस आवेदन को रद्द कर सकेगा।

(4) जहां पर अधिकारी को लगे कि पुनरावलोकन का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए, वह उसे स्वीकार करेगाः

परंतु (ए) जिस आदेश के पुरावलोकन के लिए आवेदन किया गया है उससे संबंधित पक्षों को अपने सम्मुख उपस्थित होने के पूर्व-नोटिस के बिना तथा उसको सुने बिना ऐसे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, तथा

(बी) केवल आदेश पारित किए जाने के समय जानकारी में नहीं होने वाले या प्रस्तुत नहीं किए जा सकने वाले नए तथ्य या साक्ष्य के प्रकट होने के आधार पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि तत्संबंधी सबूत प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(5) पुनरावलोकन के आवेदन को रद्द करने वाले अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकेगी, परंतु पुनरावलोकन के अधीन आदेश के विरूद्ध, यह मानते हुए कि यह धारा 7-ए के अंतर्गत पारित मूल आदेश है, इस अधिनिमय के अंतर्गत अपील की जा सकेगी।

7-सी. छूटी हुई राशियों का निर्धारणः- जहां धारा 7-ए या 7-बी के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय राशियों के निर्धारण का आदेश पारित किया जा चुका है तथा यदि आदेश पारित करने वाले अधिकारी काः-

(ए) यह विश्वास करने का कारण हो कि नियोक्ता द्वारा देय राशियों के सही निर्धारण के लिए नियोक्ता द्वारा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट उपलब्ध करवाने या तथ्यात्मक जानकारी पूर्ण रूप से और सत्यता से प्रकट करने में चूक होने या असफल होने पर ऐसे नियोक्ता द्वारा उसकी जानकारी से किसी भी अवधि की देय राशियां छूट गई हों;

(बी) उसके अधिकार में किसी सूचना के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण उपरोक्त अवतरण 'ए' में दर्शाई गई नियोक्ता द्वारा की गई किसी चूक अथवा असफलता के नहीं होते हुए भी धारा 7-ए या धारा 7-बी के अंतर्गत किसी भी अवधि की निर्धारण योग्य राशि निर्धारण किए जाने से छूट गई है;

तो वह धारा 7-ए या धारा 7-बी के अंतर्गत पारित आदेश की सूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अंदर-अंदर मामले को पुनः खोल सकेगा तथा नियोक्ता द्वारा देय राशि का पुनः निर्धारण करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित आदेश पारित कर सकेगाः

परंतु, नियोक्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिए बिना नियोक्ता द्वारा देय राशि का इस धारा के अंतर्गत पुनः निर्धारण करने का आदेश पारित नहीं कर सकेगा।

7-डी. कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरणः- (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा एक या एक से अधिक अपील अधिकरण कायम कर सकेगी जो कि "कर्मचारी भविष्य निधि अपील अधिकरण के नाम से जाना जाएगा तथा जो इस अधिनियम के द्वारा ऐसे अधिकरण को दिए गए अधिकारों का प्रयोग तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा तथा उस अधिकरण का गठन करने वाली अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र-विशेष में आने वाली स्थापनाऐं अधिकार क्षेत्र होगा।

(2) अधिकरण केवल एक सदस्यीय होगा जिसे केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (जिसे आगे पीठासीन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह (i) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या, (ii) जिला न्यायाधीश हो अथवा होने योग्य हो।

7-ई. कार्यकालः- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, का होगा।

7-एफ. त्याग पत्रः- (1) पीठासन अधिकारी केंद्रीय सरकार को अपने हस्ताक्षरों से लिखित में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, परंतु यदि केंद्रीय सरकार शीघ्र कार्यमुक्त होने की इजाजत नहीं देती है, तो नोटिस दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि तक या नियुक्त उत्तराधिकारी द्वारा कार्य-भार ग्रहण किए जाने तक या उसका स्वयं का कार्यकाल पूर्ण होने तक, इनमें जो भी सबसे पहले हो, पीठासीन अधिकारी का कार्य करता रहेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी को, उस उच्च न्यायालय जिसमें उस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध आरोपों की सूचना दी गई है, के न्यायाधीश द्वारा जांच करने और उन आरोपो की सुनवाई के लिए उचित अवसर देने पर दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं हटाया जा सकेगा।

(4) केंद्रीय सरकार, नियमानुसार पीठासीन अधिकारी के र्दुव्यवहार या अक्षमता की जांच की प्रक्रिया को नियमबद्ध कर सकेगी ।

7-जी. पीठासीन अधिकारी का वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के नियम व सेवा की शर्तेंः-

पीठासीन अधिकारी को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते तथा अन्य दूसरी सेवा शर्तें व नियम (पेंशन ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवा-निवृति लाभ) वे ही होंगे जो निश्चित किए जाएंः-

परंतु, पीठासीन अधिकारी के न तो वेतन तथा भत्ते और न ही सेवा नियम व शर्तें उसकी नियुक्ति के उपरांत अहितकर रूप में भिन्न होगी।

7-एच. अधिकरण के कर्मचारी :-

(1) अधिकरण के अपने कार्य निर्वहन में सहायता देने के लिए केंद्रीय सरकार अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रकृति एवं श्रेणियों का मूल्यांकन करेगी था जैसा वह उचित समझे अधिकरण को ऐसे अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

(2) अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के आम नियंत्रण में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) अधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और दूसरी सेवा शर्तें वे ही होंगी जो निर्धारित की जाए।

7-आई. अधिकरण में की जाने वाली अपीलें:-

(1) धारा 1 की उपधारा 3 के परंतुक या उपधारा 4 या धारा 3 या धारा 7-ए की उपधारा 1 या धारा 7-बी उपधारा 5 में संदर्भित पुनरावलोकन के आवेदन पत्र को रद्द किए जाने के आदेश के अलावा, या धारा 7-सी या धारा 14-बी के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या अन्य अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना से पीड़ित कोई भी व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध अधिकरण में अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा 1 के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में, ऐसी प्रक्रिया से एवं ऐसी समयावधि के अंदर-अंदर उस शुल्क के साथ की जा सकेगी जैसे निर्धारित किए जाएं

7-जे. अधिकरण की प्रक्रिया:-

(1) अधिकरण अपनी शक्तियों के प्रयोग के सिलसिले में या अपने कार्यकलापों के निर्वहन में उत्पन्न होने वाले मामलों, जिनमें अधिकरण के कार्यस्थल, बैठक के स्थान का मामला भी शामिल है, में अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाने के लिए सक्षम होगा।

(2) अधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन में वे ही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कि धारा 7-ए में संदर्भित अधिकारियों में निहित है तथा अधिकरण के समक्ष कोई सुनवाई भारतीय दंड संहिता (1860 का 45वां अधिनियम) की धारा 193 एवं 228 के अंतर्गत तथा धारा 196 के उद्देश्य के लिए न्यायिक प्रक्रिया तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का दूसरा अधिनियम) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के उद्देश्य के लिए अधिकरण एक सिविल अधिकरण एक सिविल न्यायालय माना जाएगा।

7-के. अपील करने वाले को वकील की सहायता लेने तथा सरकार आदि को प्रस्तुति अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार:-

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण में अपील करने वाला व्यक्ति उनके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निजी रूप से स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपनी इच्छा के किसी वकील की सहायता ले सकेगा।

(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अन्य प्राधिकारी एक या अधिक वकीलों को या अपने अधिकारियों में से किसी को प्रस्तुति-अधिकारियों

के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे तथा प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति अधिकरण के समक्ष किसी अपील के मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

7-एल. अधिकरण के आदेशः-

(1) अधिकरण अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो, उसे सही ठहराते हुए, उसे संशोधित करते हुए या उसे रद्द करते हुए, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा या अधिकरण जैसा उचित समझे आदेश को पारित करने वाले अधिकारी के पास ऐसे निर्देशों के साथ वापस भेज सकेगा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्यों को लेते हुए नया निर्णय या आदेश, जैसा भी हो पारित करे।

(2) अपने आदेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अंदर-अंदर अभिलेख-जन्य गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से उपधारा (1) के अंतर्गत पारित आदेशों को संशोधित कर सकेगा तथा यदि गलती अपील के पक्षों के द्वारा ध्यान में लाई जाती है तो ऐसे संशोधन उस आदेश में कर सकेगाः

परंतु, यदि ऐसा संशोधन नियोक्ता द्वारा देय राशियों में या अन्य देनदारियों में वृद्धि करता हो तो अधिकरण ऐसा तब तक नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसा करने के अपने उद्देश्य का नोटिस उसे नहीं दिया हो तथा उसे सुने जाने के समुचित अवसर नहीं दिए हों।

(3) अधिकरण इस धारा के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षों को भेजेगा।

(4) अपील का अंतिम निपटारा करने वाला अधिकरण का कोई भी आदेश किसी भी न्यायिक न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकेगा।

7-एम. रिक्त पदों की भर्तीः- यदि किसी कारण से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार दूसरे व्यक्ति को रिक्त पद भरने के लिए नियुक्त कर सकेगी तथा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पद-स्थापन के स्तर से आगे जारी रहेगी।

7-एन. अधिकरण के गठन के आदेश अंतिम होंगेः- पीठासीन अधिकारी नियुक्ति संबंधी केंद्रीय सरकार के आदेश पर किसी भी तरीके से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा तथा अधिकरण के त्रुटिपूर्ण गठन के आधार पर अधिकरण के कार्य या अधिकरण के समक्ष जारी कार्यवाही पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा।

7-ओ. अपील से पूर्व देय राशियों का जमा कराया जाना :- अधिकरण द्वारा नियोक्ता की अपील तब तक स्वीकार नहीं की जा सकेगी जब तक कि वह धारा 7-ए में संदर्भित अधिकारी द्वारा निर्धारित देय राशि की पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत) राशि अधिकरण में जमा नहीं करा देताः

परंतु अधिकरण लिखित में कारण दर्ज करके इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली राशि को माफ या कम कर सकेगा।

7-पी. कुछ आवेदनों का अधिकरण को हस्तांतरण:-

धारा 19-ए के अंतर्गत उन स्थापनाओं से संबधित केंद्रीय सरकार के विचाराधीन आवेदन उस अधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगे जो उनके कार्यक्षेत्र में हैं जैसे कि वे आवेदन अधिकरण में की गई अपील हों।

7-क्यू. नियोक्ता, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी भी राशि पर जिस तारीख से वे देय होती हैं, से उनके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर या ऐसी उच्च दर से, जिसका योजना में उल्लेख किया जाए, साधारण ब्याज का भुगतान करेगाः

परंतु, योजना में दर्शाई गई उच्च दर किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से अधिक नहीं होगी।

8 नियोक्ता से बकाया रकम की वसूली के तरीके :- किसी भी रकम को, जो-

(ए) स्थापना जिस पर योजना या बीमा योजना लागू है के नियोक्ता द्वारा निधि या जैसा भी मामला है, बीमा निधि में दिया जाने वाला केई अंशदान, धारा 14-बी के अंतर्गत वसूली योग्य क्षति, धारा 15 की उपधारा 2 के अंतर्गत या धारा 17 की उपधारा 5 के अंतर्गत हस्तांतरणीय जमा राशियां या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या योजना या बीमा योजना के किसी प्रावधान के अंतर्गत देय कोई प्रभार; या

(बी) किसी छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ता से धारा 14-बी के अंतर्गत वसूली योग्य क्षति, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत या धारा 17 के अधीन रखी गई शर्तों के अधीन समुचित सरकार को देय कोई प्रभार, या उक्त धारा 17 के अंतर्गत पेंशन योजना में देय अंशदान के रूप में बकाया हो, को धारा 8-बी से 8-जी में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

8-ए. नियोक्ताओं तथा ठेकेदारों द्वारा धन राशियों की वसूली:-

(1) ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के लिए अंशदान की राशि यथा किसी भी योजना के लिए (नियोक्ता का अंशदान व कर्मचारी का अंशदान तथा बीमा योजना के संदर्भ में नियोक्ता का अंशदान) तथा निधि के प्रशासन के खर्च के लिए कोई प्रभार जिसका नियोक्ता ठेकेदार द्वारा अथवा उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारी के संबंध में भुगतान करता है या देय हैं, उसी ठेकेदार को देय किसी ठेके की राशि में से करता है या ठेकेदार द्वारा देय कर्ज से कटौती की जा सकेगी।

(2) ठेकेदार द्वारा उसके माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में उपधारा 1 में लिखी राशि ठेकेदार से वसूली जाए, वह ठेकेदार किसी भी योजना के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान ऐसे कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रिटेनिंग एलाउंस यदि कोई हो, से कटौती करके वसूल कर सकेगा।

(3) किसी समझौते में विपरीत बात के होते हुए भी कोई ठेकेदार अपने द्वारा या अपने माध्यम से नियोजित कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा रिटेनिंग एलाउन्स यदि कोई हो तो उसे उपधारा 1 में संदर्भित नियोक्ता के अंशदान या प्रभार की कटौती करके या ऐसे अंशदान एवं प्रभार ऐसे कर्मचारी से अन्यथा रूप से वसूलने का अधिकारी नहीं होगा

स्पष्टीकरण:- इस धारा में ''महंगाई भत्ता'' तथा ''रिटेनिंग एलाउन्स'' का अर्थ धारा 6 में दिए गए अर्थ के समान होगा।

8-बी. वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र जारी करना :-

(1) जहां धारा 8 के अंतर्गत कोई पिछली अवधि की राशि बाकी हो तो प्राधिकृत अधिकारी अपने हस्ताक्षर से बकाया राशि का उल्लेख करते हुए एक प्रमाण-पत्र वसूली अधिकारी को जारी कर सकेगा तथा वह वसूली अधिकारी उस प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त उसमें उल्लिखित राशि को स्थापना या मालिक से, जैसा भी मामला हो, नीचे लिखे एक या अधिक तरीकों से वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगाः

(ए) स्थापना या मालिक, जैसी भी हो, की चल या अचल संपत्ति की कुर्की या नीलामी;

(बी) मालिक की गिरफ्तारी एवं जेल में बंद रखना;

(सी) स्थापना या मालिक, जैसी भी हो, की चल या अचल संपत्ति की व्यवस्था के लिए रिसीवर नियुक्त करनाः

परंतु पहले स्थापना की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी की जा सकेगी तथा यदि यह कुर्की एवं नीलामी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित सारी बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त न हो तो वसूली अधिकारी पूरी या बकाया राशि की वसूली के लिए नियोक्ता की संपत्ति के विरूद्ध ऐसी ही कार्यवाही कर सकेगा।

(2) अन्य विकल्पों के माध्यम से बकाया वसूली की कार्यवाही जारी रहते हुए भी उपधारा 1 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा।

8-सी. वसूली अधिकारी जिसे वसूली प्रमाण-पत्र अग्रेषित किया जाएगाः-

(1) धारा 8-बी में संदर्भित प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत अधिकारी उस वसूली अधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसके कार्य क्षेत्र में नियोक्ताः-

(ए) अपना व्यापार या व्यवसाय करता है या जिसके कार्यक्षेत्र में उसकी स्थापना का मूल स्थान अवस्थित हो, या

(बी) आवास करता है या स्थापना की या नियोक्ता की चल या अचल संपत्ति अवस्थित हो।

(2) जहां स्थापना या नियोक्ता की संपत्ति एक से अधिक वसूली अधिकारी के कार्य क्षेत्र में हो तथा जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र भेजा गया है, वह, वसूली अधिकारी-

(ए) अपने कार्य क्षेत्र में अवस्थित चल या अचल संपित्त के विक्रय से पूरी रकम वसूल नहीं कर पाता है, या

(बी) यह धारणा है कि रकम की पूर्ण या आंशिक वसूली के निस्तारण या अमल के लिए आवश्यक है-तो

जिसके कार्यक्षेत्र में स्थापना या नियोक्ता की संपत्ति है या नियोक्ता का आवास हो उस वसूली अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र या आंशिक रकम की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति भेजेगा तथा तदुपरांत वह वसूली अधिकारी इस धारा के अंतर्गत रकम वसूल करने की कार्यवाही करेगा, यह मानते हुए कि वह प्रमाण-पत्र या प्रतिलिपि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही उसे भेजी गई है।

8-डी. प्रमाण-पत्र की वैधता तथा उसके संशोधनः-

(1) धारा 8-बी के अंतर्गत जब प्राधिकृत अधिकारी वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र जारी कर देता है तो नियोक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि वह वसूली अधिकारी के समक्ष राशि के सही

होने के संबंध में ऐतराज करे तथा वसूली अधिकारी प्रमाण-पत्र पर अन्य किसी आधार पर ऐतराज को स्वीकार नही कर सकेगा।

(2) वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र जारी करने के बावजूद प्राधिकृत अधिकारी को प्रमाण-पत्र वापस लेने या प्रमाण-पत्र की लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों को वसूली अधिकारी को सूचना भेज कर सुधार करने का अधिकार होगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण-पत्र को वापस लेने या रद्द करने के आदेश या उपधारा 2 के अंतर्गत किए गए सुधार या धारा 8-ई की उपधारा 4 के अंतर्गत किए गए संशोधन की सूचना वसूली अधिकारी को देगा।

8-ई. प्रमाण-पत्र के अंतर्गत कार्यवाही पर रोक तथा संशोधन या उसकी वापसीः-

(1) वसूली अधिकारी को किसी रकम की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बावजूद, प्राधिकृत अधिकारी उस राशि के भुगतान के लिए समय दे सकता है, तथा तदुपरांत वसूली उस स्वीकृत समयावधि की समाप्ति तक वसूली की कार्यवाही रोक देगा।

(2) जहां राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी वसूली अधिकारी को तत्पश्चात् किए गए भुगतान या भुगतान के लिए स्वीकृत समय के संबंध में सूचना देता रहेगा।

(3) जहां किसी राशि की मांग के लिए आदेश दिया गया है, जिसके लिए प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही या अपील में उस मांग में संशोधन किया गया है, तथा, उसके उपरांत, मांग को कम कर दिया गया है परंतु अधिनियम के अंतर्गत आगे की किसी कार्यवाही के अधीन है, तो, प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण-पत्र की उस कम की गई राशि की वसूली को उस समयावधि तक के लिए रोक सकेगा जिसके लिए अपील या कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जहां राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के अंतर्गत अपील या अन्य कार्यवाही में उस बकाया राशि को कम कर दिया हो, तो अपील या अन्य कार्यवाही के विचाराधीन आदेश के अंतिम तथा निर्णायक हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण-पत्र को संशोधित करेगा या उसे वापस ले लेगा।

8-एफ. वसूली के दूसरे तरीकेः-

(1) धारा 8-बी के अंतर्गत वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत भी, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी इस धारा में उल्लिखित एक या अधिक तरीकों से राशि वसूल कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी नियोक्ता, जिसका बकाया है, से कोई रकम लेनदार हो, उसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या इस उद्देश्य के लिए केंद्रीया बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे नियोक्ता द्वारा बकाया राशि उन देय राशियों में से काट ले तथा ऐसा देनदार व्यक्ति ऐसी मांग को पूरा करने के लिए बाध्य होगा तथा ऐसी काटी गई राशियां केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या इस तरह के प्राधिकृत अधिकारी के खाते में जमा कराएगाः-

परंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5वां अधिनियम) की धारा 60 के अंतर्गत जारी सिविल न्यायालय की डिक्री की अनुपालना के लिए कुर्की से मुक्त राशि के किसी भी भाग पर यह उपधारा लागू नहीं होगी।

(3) (i) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर लिखित नोटिस के माध्यम से नियोक्ता या स्थापना के लिए या उनके नाम से, जैसा भी मामला हो बाद में पैसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति को जो नियोक्ता या स्थापना, जिसके भी लिए या नाम से पैसा रखे हो या बाद में रखे, उसे बाध्य कर सकेगा कि वह राशि देय होने पर उतनी राशि, जितनी नियोक्ता की तरफ से बाकी देय हो या उसके बराबर या कम होने पर संपूर्ण राशि केंद्रीय आयुक्त को तत्काल या नोटिस में उल्लिखित तिथि या समयावधि में राशि देय होने से पहले या रोके रहने की स्थिति से पहले नहीं भुगतान करे।

(ii) जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से नियोक्ता के लिए या उसकी तरफ से राशि रखता है या बाद में रख सकता है, को इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकेगा तथा इस उपधारा के उद्देश्य के लिए संयुक्त देनदारों में समान हिस्सा माना जाएगा जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता।

(iii) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात अंतिम पत पर नियोक्ता को तथा संयुक्त खाते की दशा में सभी भागीदारों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर, जो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी में हो, नोटिस की प्रति दी जाएगी।

(iv) इस उपधारा में अन्य प्रकार के उपबंधों में मद्देनजर, प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस दिया जाता हो, ऐसे नोटिस की अनुपालना करने के लिए बाध्य होगा, तथा, जहां नोटिस विशेषत- डाकघर, बैंक या बीमाकर्ता को जारी किया गया हो, वहां पास बुक, जमा रसीद, पॉलिसी या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा जो कि किसी नियम, परम्परा या अन्यथा आवश्यकता के अधीन भुगतान करने से पूर्व इंद्राज, पृष्ठांकन तदनुरूप आवश्यक हो।

(v) ऐसी कोई संपत्ति, जिसके लिए इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस दिया गया हो, के संबंध में ऐसे नोटिस की तिथि के बाद कोई दावा कायम किया जाता है (या क्लेम किया जाता है) तो वह नोटिस में उल्लिखित मांग के संदर्भ में मान्य नहीं होगी।

(vi) जिस किसी व्यक्ति को इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस दिया गया हो, यह शपथ-पत्र के रूप में बयान देकर इस पर ऐतराज करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग नियोक्ता को देय नहीं है या वह नियोक्ता को देय या उसकी तरफ से कोई राशि अपने पास नहीं रखता है, तो इस उपधारा में उल्लेख के अनुसार ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी राशि या उसके भाग का, जैसा भी मामला हो, भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा, किंतु, यदि यह प्रकट हो जाता है कि वह बयान किसी तथ्य विशेष के हिसाब से झूंठा था तो नोटिस की तारीख नियोक्ता को देनदारी की सीमा तक या नियोक्ता की देनदारी की सीमा तक, जो भी कम हो, के लिए वह व्यक्ति केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(vii) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अंतर्गत जारी किए गए नोटिस में सुधार या पुनः प्रभावी कर सकेगा या ऐसे नोटिस के तहत किसी भी भुगतान की समय सीमा बढ़ा सकेगा।

(viii) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसा प्राधिकृत अधिकारी इस उपधारा के अंतर्गत जारी नोटिस की अनुपालना में किए गए भुगतान की प्राप्ति रसीद जारी करेगा तथा भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान की गई सीमा तक नियोक्ता की देनदारी से मुक्त माना जाएगा।

(ix) इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस की प्राप्ति के बाद कोई व्यक्ति यदि नियोक्ता को अपनी देनदारी का भुगतान करता है, तो वह नियोक्ता को भुगतान की गई अपनी देनदारी की सीमा तक या इस अधिनियम के अंतर्गत देय राशि की सीमा तक की नियोक्ता की देनदारी की सीमा जो भी कम हो, तक केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को भुगतान करने का व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(x) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अंतर्गत नोटिस भेजा गया है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को उसके अनुसार भुगतान करने में असफल होता है तो, वह नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए चूककर्ता नियोक्ता माना जाएगा तथा यह मानते हुए कि ये उसके द्वारा देय बकाया है, उसके विरूद्ध धारा 8-बी से 8-ई के प्रावधानों के अनुसार उस राशि को वसूल करने की आगे की कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह नोटिस धारा 8-बी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वसूली अधिकारी द्वारा देनदारी की कुर्की के नोटिस के समान ही प्रभावी होगा ।

(4) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी उस अदालत को आवेदन कर सकेगा, जिसके नियंत्रण में नियोक्ता से संबंधित राशि उसे भुगतान के लिए हो, वे सारी राशियों, यदि वे देय राशियों से अधिक हों तो, वह राशि जो देय राशियों के समायोजन के लिए पर्याप्त हों, का भुगतान करें।

(5) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी जो सहायक भविष्य निधि आयुक्त के स्तर से कम न हो, जिसे केंद्रीय सरकार सामान्य या विशेष आदेश के जरिए, राजपत्र में प्रकाशित करके प्राधिकृत करें, नियोक्ता द्वारा देय बकाया या स्थापना द्वारा देय, जैसा भी प्रसंग हो, बकाया राशियां उसकी या स्थापना की अचल संपत्ति की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां अधिनियम) की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कुर्की कर तथा उसका विक्रय करके वसूल कर सकेगा।

8-जी. आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों का लागू होनाः- आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43वां अधिनियम) की दूसरी तथा तीसरी अनुसूची के प्रावधान तथा आयकर (सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग्स) नियम, 1962 समय-समय पर जैसे प्रभावी हों, आवश्यक सुधारों के साथ लागू होंगे जैसे कि उन प्रावधानों एवं नियमों में उल्लिखित बकाया राशि आयकर के बदले इस अधिनियम की धारा 8 में वर्णित बकाया होः

परंतु उक्त प्रावधानों एवं नियमों में आया ''असेसी'' का संदर्भ इस अधिनियम में संदर्भित नियोक्ता के संदर्भ में होगा।

9. निधि 1922 के 11वें अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होगीः- भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11वां अधिनियम) के अंतर्गत तथा उसके अध्याय नौ-ए के हितार्थों में यह निधि एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि मानी जाएगीः

परंतु उस अध्याय में उल्लिखित कोई भी प्रावधान योजना, (जिसके अंतर्गत निधि की स्थापना की गई है) के किसी भी प्रावधान को, जो कि उक्त अध्याय के प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विरोधी हों, अप्रभावी करने के लिए लागू नहीं हो सकेंगे।

10. कुर्की के विरूद्ध संरक्षणः-

(1) निधि के किसी भी सदस्य या भविष्य निधि से छूट प्राप्त किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा धन राशि किसी भी तरीके से सौंपी या प्रभारित नहीं की जा सकेगी तथा सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी द्वारा लिए गए कर्ज या देनदारी के संदर्भ में किसी डिक्री या अदालती आदेश के अंतर्गत कुर्की के योग्य नहीं होगी तथा न तो प्रेसीडेंसी टाउंस इंसोल्वेन्सी अधिनियम, 1909 (1909 का 3 रा अधिनियम) के अंतर्गत नियुक्त न तो अधिकारिक असाइनी को और न ही प्राविंशियल इंसोल्वेंसी अधिनियम, 1920 (1920 का 5वां अधिनियम) के अंतर्गत नियुक्त रिसीवर को ऐसी किसी धन राशि को प्राप्त करने या इस पर दावा करने का अधिकार होगा।

(2) सदस्य की निधि में या छूट प्राप्त कर्मचारी की भविष्य निधि में उसकी मृत्यु के समय कोई देय राशि जमा है तथा योजना के अंतर्गत या भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत उसके मनोनीत व्यक्ति को देय है, वे राशियां उस योजना या नियमों के द्वारा अधिकृत कटौतियों के उपरांत मनोनीत व्यक्ति के अधिकार में निहित होगी तथा उन कर्जों एवं देनदारियों से मुक्त होगी, जो मृतक सदस्य या नामित व्यक्ति द्वारा सदस्य या छूट प्राप्त कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व ली गई है तथा किसी डिक्री या किसी न्यायालय के आदेश के अंतर्ग कुर्की भी किए जाने योग्य नहीं होगी।

(3) उपधारा 1 तथा उपधारा 2 के प्रावधान, जैसे भी हो, पेंशन या पेंशन योजना के अंतर्गत देय अन्य राशियों के संबंध में तथा बीमा योजना के अंतर्गत देय किसी राशि के संबंध में भी लागू होंगे जैसे कि निधि से देय किसी राशि के संबंध में लागू है।

11. अंशदानों के भुगतान की अन्य कर्जों पर वरीयताः-

(1) जहां कोई नियोक्ता दिवालिया निर्णीत किया जाता है, या यदि वह कंपनी है तो, उसके समापन किए जाने का आदेश दिया जाता है, वहां किसी ऐसी रकम के बारे में जोः-

(ए) उस स्थापना जिस पर योजना या बीमा योजना लागू है, के नियोक्ता द्वारा भुगतान योग्य निधि या बीमा निधि, जैसा भी मामला हो का कोई अंशदान, धारा 14-बी के अंतर्गत वसूली योग्य क्षति, धारा 15 की उपधारा 2 के

अंतर्गत हस्तांतरण योग्य जमा राशियां या इस अधिनियम के किसी दूसरे, प्रावधान या योजना या बीमा योजना के किसी प्रावधान के अंतर्गत देय अन्य प्रभार, या

(बी) छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि या किसी बीमा निधि के नियमों के अंतर्गत भविष्य निधि या किसी बीमा निधि के किसी अंशदान जो कि छूट प्राप्त कर्मचारियों से संबंधित हो, धारा 17 की उप-धारा 6 के अंतर्गत परिवार पेंशन निधि में देय कोई अंशदान, धारा 14-बी के अंतर्गत वसूली योग्य क्षति या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या धारा 17 के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी शर्त के अंतर्गत समुचित सरकार को देय प्रभार;

(के रूप में) देनदारियां दायित्व निर्णय या समापन के आदेश के किए जाने से पूर्व अवधि की हो तो वे प्रेसीडेंसी टाउन्स इनसाल्वेन्सी अधिनियम, 1909 (1909 का 3 रा अधिनियम) की धारा 49 के अंतर्गत, प्रान्तीय इनसाल्वेन्सी अधिनियम, 1920 (1920 का 5 वां अधिनियम) की धारा 61 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का पहला अधिनियम) की धारा 530 के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, दिवालिए की संपत्ति या जिसका समापन किए जा रहा हो, उस कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण में अन्य सभी ऋणों पर वरीयता प्राप्त देनदारियों में शामिल समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा में, तथा धारा 17 में प्रयुक्त "बीमा निधि" का तात्पर्य है कर्मचारियों का जीवन बीमा सरीखे लाभ देने के उद्देश्य से, चाहे वह भविष्य निधि की जमा से संबद्ध हो या न हो, कर्मचारी द्वारा अलग अंशदान या प्रीमियम दिए बिना, किसी योजना के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा स्थापित निधि।

(2) उपधारा 1 के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना यदि नियोक्ता द्वारा देय कोई राशि चाहे वह कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी की मजदूरी से काटा गया या नियोक्ता का अंशदान हो ऐसी देय राशियों की स्थापना की परिसंपित्तयों पर प्रथम वरीयता मानी जाएंगी, तथा किसी अन्य लागू कानून में किसी बात के होते हुए भी, अन्य ऋणों पर वरीयता देते हुए उनका भुगतान किया जाएगा ।

12. नियोक्ता वेतन मजदूरी आदि कम नहीं करेगाः- ऐसी स्थापना का नियोक्ता, जिस पर कोई योजना या बीमा योजना लागू है, निधि या बीमा निधि में कोई अंशदान या इस अधिनियम या योजना या बीमा योजना के अंतर्गत किसी प्रभार के भुगतान की जिम्मेदारी के डर से योजना या बीमा योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों की मजदूरी या वृद्धावस्था पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि या जीवन बीमा जिसके लिए कर्मचारी उसके नियोजन की शर्तों के अनुसार लिखित या मान्य रूप से हकदार हो, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कम नहीं कर सकेगा ।

13. निरीक्षकः-

(1) इस अधिनियम योजना पेंशन योजना या बीमा योजना के उद्देश्य के लिए समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जितने उचित समझे उतने व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा उनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर सकेगी।

(2) उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक इस अधिनियम या किसी योजना या बीमा योजना के संबंध में भेजी गई सूचना की सत्यता की जांच पड़ताल के उद्देश्य के लिए या जिस स्थापना पर योजना या बीमा योजना लागू है, क्या उसके संबंध में इस अधिनियम या योजना या बीमा योजना के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, इसकी संतुष्टि के लिए या जिस स्थापना पर योजना या बीमा योजना लागू नहीं की गई, या उस पर इस अधिनियम या योजना या बीमा योजना के प्रावधान लागू होते है या किसी छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ता द्वारा धारा 17 के अंतर्गत दी गई छूट की शर्तों की अनुपालना की जा रही हैः

(ए) जैसी वह चाहे, सूचना देने के लिए नियोक्ता या धारा 8-ए के अंतर्गत जिससे कोई राशि वसूल करनी है, उस ठेकेदार को बाध्य कर सकेगा;

(बी) किसी भी स्थापना या उससे जुड़े किसी परिसर भवन में समुचित समय पर तथा जैसा उचित समझे सहायक या सहायकों के साथ प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा तथा वहीं उपलब्ध जिम्मेदार व्यक्ति को जांच-पड़ताल के लिए लेखे, पुस्तकें, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो स्थापना में व्यक्तियों के नियोजन तथा मजदूरी भुगतान से संबंधित हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा;

(सी) ऊपर लिखे उद्देश्यों से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता से या वह ठेकेदार जिससे धारा 8-ए के अंतर्गत कोई राशि वसूल करनी है उसका प्रतिनिधि या कर्मचारी या अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो स्थापना में या उससे जुड़े किसी भवन परिसर में उपलब्ध हा या ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में निरीक्षक को विश्वास हो कि वह स्थापना में कर्मचारी है या रहा है, से पूछताछ कर सकेगा ;

(डी) स्थापना के संबंध में रखी जाने वाली पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों की नकल या सार-संक्षेप ले सकेगा तथा जहां उसे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है, तो वह जैसे उचित समझे उन सहायकों की सहायता से उन पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों या अपराध के संबंध में उनके इच्छित अंशों को जब्त कर सकेगा ;

(ई) योजना में दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2ए) उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक पेंशन योजना के सबंध में दी गई सूचना की सत्यता की जांच के लिए या क्या जिस स्थापना पर पेंशन योजना लागू हो वह इस अधिनियम या पेंशन योजना के प्रावधानों की अनुपालना कर रही है, की जांच पड़ताल के लिए उपधारा (2) के खंड (ए), (बी), (सी) व (डी) में उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2बी) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5वां अधिनियम) के वे प्रावधान जो इस संहिता की धारा 98 के अंतर्गत जारी वारंट से तलाशी तथा जब्ती के लिए लागू होते हैं, उपधारा (2) या उपधारा (2-ए), जैसा भी प्रसंग हो, के अंतर्गत तलाशी व जब्ती के संबंध में भी लागू होगी।

14. दंडः-

(1) जो कोई भी, उसके अपने द्वारा इस अधिनियम, योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भुगतान नहीं करने या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भुगतान नहीं करने देने के उद्देश्य से जानबूझ कर मिथ्या विवरण या मिथ्या बयान दे या दिलवाए उसे एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपए तक के अर्थदंड या दोनों से दडिंत किया जाएगा ।

(1-ए) नियोक्ता जो धारा 6-सी या धारा 17 की उपधारा 3 के खंड (ए) जो कि निरीक्षण प्रभारों के भुगतान से संबंधित है या पैराग्राफ 38, जो कि प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान से संबंधित है के प्रावधानों की अनुपालना के विपरीत या चूक करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा किंतु,

(ए) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर्मचारी के अंशदान के भुगतान में चूक करने की दशा में यह दंड एक वर्ष के कारावास तथा दस हजार रूपए का अर्थ दंड से कम नहीं हो सकेगा ।

(बी) अन्य मामलों में यह दंड छः माह के कारावास तथा पांच हजार रूपए के अर्थ दंड से कम नहीं हो सकेगा।

परंतु न्यायालय पर्याप्त एवं विशेष कारणों का निर्णय में उललेख करके कम अवधि का कारावास दे सकता है

(1-बी) नियोक्ता जो धारा 17 की उपधारा 3-ए के खंड ए, जो कि निरीक्षण प्रभार से संबंधित है के प्रावधानों की अनुपालना के विपरीत या चूक करता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास जो छः माह से कम नहीं होगा, से दंडित किया जाएगा तथा पांच हजार रूपए तक के अर्थ दंड का भी भागीदार होगाः

परंतु न्यायालय पर्याप्त विशेष कारणों को निर्णय में लिख कर कम अवधि का कारावास दंड दे सकेगा

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना में ऐसे प्रावधान किए जा सकेंगे जो इनके किसी भी प्रावधान की अनुपालना के विपरीत तथा चूक करने वाले किसी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारवास या चार हजार रूपए तक के अर्थदंड या दोनों से दडिंत किया जा सकेगा।

(2-ए) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या धारा 17 के अंतर्गत छूट देने की किसी भी पूर्व शर्त के, जिनकी अनुपालना के विपरीत या चूक करने के लिए इस अधिनियम के अन्यत्र कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, विपरीत आचरण करे, अनुपालना नहीं करे तो उसे छः माह तक के किंतु जो एक माह से कम नहीं होगा के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा पांच हजार रूपए तक बढ़ाए जा सकने वाले अर्थ दंड का भी भागीदार होगा ।

14-ए. कंपनी द्वारा अपराधः-

(1) इस अधिनियम, योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत अपराध करने वाली यदि कंपनी हो तो कंपनी का प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का इंचार्ज तथ उसके कार्य-व्यापार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, उसके साथ-साथ कंपनी भी अपराध के लिए दोषी मानी जाएगी तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तदनुसार उन्हें दंडित किया जा सकेगाः

परंतु इस उपधारा के अनुसार किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या उसने ऐसी आपराधिक चूक को रोकने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरती।

(2) उपधारा 1 में किन्हीं बातों के होते हुए भी जहां इस अधिनियम, योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध किया गया है तथा यह साबित कर दिया जाता है कि किसी निदेशक या व्यवस्थापक या कंपनी के सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, जानकारी या उसकी किसी लापरवाही के कारण, वह अपराध किया गया है तो वह निदेशक, व्यवस्थापक, सचिव या अन्य अधिकारी उस उपधारा के लिए दोषी माने जाएंगे तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं तदनुसार दंडित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के लिए-

(ए) ''कंपनी'' का तात्पर्य विधि सम्मत संगठित संस्था तथा इसमें फर्म तथा व्यक्तियों का संघ-समूह भी शामिल है, तथा

(बी) फर्म के संबंध में '' निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से हैं।

14-एए. पहले दंडित किए जाने के बाद कुछ मामलों में बढ़ी हुई सजाः- जिस किसी को इस अधिनियम, योजना या पेंशन योजना या बीमा येजना के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है, फिर वही अपराध करता है तो वह ऐसे बाद के प्रत्येक अपराध के लिए कैद की सजा जो कि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी परंतु वह दो वर्ष से कम नहीं होगी तथा पच्चीस हजार रूपए के अर्थ दंड के लिए भी जिम्मेदार होगा।

14-एबी. कुछ अपराध जो संज्ञेय होगें:- दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5वां अधिनियम) में किन्हीं बातों के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय नियोक्ता द्वारा अंशदान के भुगतान में चूक का अपराध संज्ञेय (कोग्रीजेबल) होगा।

14-एसी. अपराध का संज्ञान एवं दंड प्रक्रियाः- (1) केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक द्वारा ऐसे अपराध की तथ्यपरक लिखित रिपोर्ट के बिना कोई न्यायालय इस अधिनियम या योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा।

(2) प्रेसीडेंसी मंजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम हैसीयत का न्यायालय इस अधिनियम या योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत अपराध का परीक्षण (ट्रॉयल) नहीं कर सकेगा ।

14-बी. क्षति वसूली की शक्तिः- जहां नियोक्ता निधि पेंशन निधि या बीमा निधि में किसी अंशदान के भुगतान में चूक करता है या धारा 15 की उपधारा 2 या धारा 17 की उपधारा 5 के अंतर्गत उसके द्वारा स्थानान्तरित करने योग्य जमा राशियों के स्थानांतरण में (चूक करता है) या इस अधिनियम या योजना या बीमा योजना के अंतर्गत या धारा 17 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों-परिस्थितियों के अंतर्गत किन्हीं प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जैसा योजना में निर्धारित किया जाए, नियोक्ता से जुर्माने में रूप में क्षति की वसूली कर सकेगा जो कि बकाया चूक की राशियों की मात्रा से अधिक नहीं होगीः

परंतु ऐसी क्षति के निर्धारण एवं वसूली से पूर्व नियोक्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगाः

परंतु, ऐसी स्थापना जो बीमार औद्योगिक कंपनी हो तथा जिसके लिए बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 (1986 का पहला अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत की गई है, के मामलों में लगाई गई क्षति को योजना में बनाई जाने वाली शर्तों एवं परिस्थिति के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड कम कर सकता है या उनसे पूर्णतः मुक्त कर सकता है।

14-सी. न्यायालय के आदेश देने की शक्तिः-

(1) जहां निधि, पेंशन निधि या बीमा निधि में कोई अंशदान के भुगतान या धारा 15 की उपधारा 2 तथा धारा 17 की उपधारा 5 के अंतर्गत हस्तांतरणीय जमा राशियों के हस्तांतरण में चूक करने के अपराध में नियोक्ता को दोषी करार दिया गया है तो वह न्यायालय दंड देने के अलावा लिखित में उसे आदेश दे सकेगा कि वह जिसके संबंध में अपराध किया गया है, उस अंशदान का भुगतान या, जैसा भी मामला हो, जमाओं का हस्तांतरण आदेश में उल्लिखित अवधि में (जैसा न्यायालय उचित समझे तथा जिसे समय-समय पर आवेदन करने पर बढ़ाया जा सकता है) भुगतान करे।

(2) जहां उपधारा 1 के अंतर्गत आदेश दिए गए हो तो न्यायालय द्वारा दी गई अवधि या बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियोक्ता इस अधिनियम के अंतर्गत क्रमिक अपराध का भागी नहीं होगा किंतु, ऐसी अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है तो नियोक्ता को पुनः अपराध किया हुआ माना जाएगा तथा धारा 14 के अंतर्गत जैसा उसके लिए प्रावधान है, कारावास की सजा दी जाएगी तथा आदेश की पालना नहीं करने के दिन से एक सौ रूपए तक बढ़ाए जा सकने वाले प्रतिदिन के अर्थ दंड का भी भागी होगा।

15. विद्यमान भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान :-

(1) धारा 17 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक कर्मचारी, जो ऐसी स्थापना जिस पर यह अधिनियम लागू हो, में नियोजित हो; की किसी भी भविष्य निधि का अंशदाता हो, ऐसी स्थापना पर योजना लागू किए जाने के समय तक वह भविष्य निधि के जिन लाभों का हकदार हो वे मिलते रहेंगे और वह भविष्य निधि उसी व्यवस्था एवं उन्हीं शर्तों अनुरूप रखे जाते रहेंगे जैसे थे, यह मानते हुए कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है, रखे जाते रहे है।

(2) स्थापना पर योजना लागू किए जाने के उपरांत, जो कर्मचारी योजना के अंतर्गत स्थापित निधि का सदस्य बनता है तो स्थापना की भविष्य निधि के अंतर्गत उसके खाते में जमा राशियां किसी भी विधि या ऐसी भविष्य निधि स्थापित किए जाने की डीड या विलेख के

विपरीत प्रावधानों के बावजूद, परंतु योजना के प्रावधानों के अनुसार, योजना के अंतर्गत स्थापित निधि में स्थानांतरित की जाएगी तथा कर्मचारी के निधि के खाते में जमा की जाएगी।

16. अधिनियम कुछ स्थापनाओं पर लागू नहीं होगाः- (1) यह अधिनियम-

(ए) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का दूसरा अधिनियम) या किसी राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित अन्य प्रभावी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी स्थापना जिसमें पचास से कम व्यक्ति नियोजित हों तथा जो बिना ऊर्जा की सहायता से कार्यरत हो; या

(बी) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी अन्य स्थापना पर, जिसके कर्मचारी सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजना या नियमों के अनुसार परिचालित अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हों, या

(सी) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य स्थापना पर, जिसके कर्मचारी उस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं परिचालित योजना या नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हों,

(2) स्थापनाओं की किसी श्रेणी की वित्तीय स्थिति या अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय सरकार यह धारणा रखती हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समयोचित है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्थापनाओं की उस श्रेणी को इस अधिनियम के प्रभाव से पिछली या आगे की तारीख से अधिसूचना में उल्लिखित समयावधि के लिए मुक्त कर सकेगी।

16-ए. किन्हीं नियोक्ताओं को भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव के लिए प्राधिकृत करनाः-

(1) एक सौ या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली स्थापना का नियोक्ता तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या द्वारा इस प्रकार का आवेदन करने पर केन्द्रीय सरकार लिखित आदेशों के द्वारा नियोक्ता को उस स्थापना से संबंधित भविष्य निधि के खातों को रखने के लिए, योजना में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगीः

परंतु इस उपधारा के अंतर्गत (ऐसे नियोक्ता को) प्राधिकृत नहीं किया जा सकेगा यदि ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से पिछली तीन वर्ष की अवधि में ऐसी स्थापना के नियोक्ता ने

भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में चूक करने का अपराध किया हो या इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराध किया हो।

(2) जहां स्थापना को उपधारा 1 के अंतर्गत भविष्य निधि के खातों को रखने के लिए प्राधिकृत किया हो उस स्थापना का नियोक्ता, जैसा योजना में उल्लेख हो, खातों का रख-रखाव करेगा, विवरणिकाएं देगा, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशदान देगा, प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान करेगा तथा अन्य ऐसे नियमों व शर्तो को मानेगा।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अंतर्गत किया गया प्राधिकार लिखित आदेश के द्वारा रद्द किया जा सकेगा, यदि वह नियोक्ता प्राधिकार के किसी नियम तथा शर्त की अनुपालना करने में असफल होता है या वह इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत कोई अपराध करता हैः

परंतु प्राधिकार को रद्द करने से पूर्व केंद्रीय सरकार नियोक्ता को सुने जाने का प्रर्याप्त अवसर देगी।

17. छूट देने की शक्तिः-

(1) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों / परिस्थितियों के अधीन-

(ए) किसी स्थापना, जिस पर यह अधिनियम लागू होते हैं, की भविष्य निधि के नियम समुचित सरकार की दृष्टि में धारा 6 के अंतर्गत उल्लिखित अंशदान की दर की तुलना में कम लाभदायक नहीं है तथा कर्मचारियों को मिलने वाले उसके अन्य भविष्य निधि लाभ समग्र रूप से उन लाभों की तुलना में कम लाभदायक नहीं है, जो अन्य समचरित्र स्थापना के कर्मचारियों को इस अधिनियम या किसी योजना के अंतर्गत उपलब्ध है; या

(बी) किसी स्थापना, यदि उस स्थापना के कर्मचारी, भविष्य निधि, पेंशन या ग्रेच्युटी की तरह के लाभप्राप्त कर रहे हैं, तथा समुचित सरकार की दृष्टि में ये लाभ एकाकी या संयुक्त रूप से ऐसे कर्मचारियों को इस अधिनियम या किसी योजना के अंतर्गत अन्य समचरित्र स्थापना के कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों से कम लाभदायक नहीं हैं,

को योजना के सभी या किन्हीं प्रावधानों को लागू करने से पिछली या भावी तिथि से छूट दे सकेगीः

परंतु ऐसी छूट बिना केंद्रीय बोर्ड की सलाह के नहीं दी जा सकेगी, जो मांगी जाने पर अपने विचारों के साथ समुचित सरकार को योजना में उल्लिखित समय सीमा में प्रेषित की जाएगी।

(1-ए) जहां उपधारा (1) खंड (ए) के अंतर्गत स्थापना को छूट स्वीकृत की गई हो-

(ए) छूट स्वीकृत की जाने वाली अधिसूचना में उल्लिखित परिस्थितियों/शर्तों के अलावा छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ता पर धारा 6, 7-ए, 8 तथा 14बी के प्रावधान भी लागू होंगे तथा जहां ऐसा नियोक्ता उक्त प्रावधानों या शर्तों या इस अधिनियम के अन्य किसी प्रावधान की अनुपालना के विपरीत या चूक करता है, तो उसे धारा 14 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जैसे कि वह स्थापना उक्त खंड (ए) के अंतर्गत छूट प्राप्त है;

(बी) भविष्य निधि के प्रशासन के लिए नियोक्ता, जितने सदस्यों की संख्या का योजना में उल्लेख हो, उतने सदस्यों के एक न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा;

(सी) न्यासी बोर्ड के सदस्यों की सेवा-शर्तों एवं नियम योजना में उल्लेख के अनुसार होगें;

(डी) खंड (बी) के अंतर्गत गठित न्यासी बोर्डः-

(i) प्रत्येक कर्मचारी के जमा अंशदान, प्रत्याहरण तथा कमाए गए ब्याज को दिखाते हुए विस्तृत खाते रखेगा;

(ii) जैसे केंद्रीय सरकार समय-समय पर निर्देश दे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी को विवरणिकाएं प्रस्तुत करेगा;

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुरूप भविष्य निधि की राशियों का विनियोजन करेगा;

(iv) जहां आवश्यक होगा कर्मचारी के खाते का स्थानांतरण करेगा, तथा;

(v) जैसी जिम्मेदारियों का योजना में उल्लेख हो उसका निर्वहन करेगा।

(1-बी) उपधारा (1-ए) के खंड (बी) के अंतर्गत स्थापित न्यासी बोर्ड उस उपधारा के खंड (डी) के किसी प्रावधान की अनुपालना के विपरीत या चूक करता है, तो धारा 14 की उपधारा (2-ए) के अंतर्गत उक्त बोर्ड के सभी न्यासी अपराधी माने जाएंगे तथा उस उपधारा में दर्शाए दंड से दंडित किए जाएंगे।

(1-सी) समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उसमें उल्लेख की जाने वाली पेंशन निधि के विनियोजन की पद्धति तथा अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी को पेंशन योजना के प्रभाव से छूट दे सकती है यदि

ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी के कर्मचारी अन्य पेंशन योजना के सदस्य हों या ऐसी पेंशन योजना का सदस्य बनना प्रस्तावित हो, जिसमें देय पेंशन आदि लाभ या तो अधिनियम के अंतर्गत पेंशन योजना के समकक्ष हों या उससे अधिक हित कर हों।

(3) योजना में, योजना के अधीन आने वाली किसी स्थापना में नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को योजना के किसी या सभी प्रावधानों से छूट देने का प्रावधान किया जा सकेगा यदि वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या वृद्धावस्था पेंशन जैसे लाभों का हकदार हो तथा

ऐसे लाभ एकाकी या संयुक्त रूप से इस अधिनियम या योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से कम लाभदायक न हो:

परंतु व्यक्तियों के वर्ग को यह छूट तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि समुचित सरकार की यह धारणा न हो कि ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों का बहुमत ऐसे उपलब्ध लाभों का ही हकदार बने रहना चाहता है।

(2-ए) यदि नियोक्ता द्वारा आवेदन किया जाता है, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना में उल्लिखत शर्तों के अधीन, चाहे पिछली या अगली किसी तारीख से बीमा योजना के किन्हीं या सभी प्रावधानों से उसकी स्थापना को छूट दे सकेगा, यदि वह संतुष्ट है कि उस स्थापना के कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त अंशदान या प्रीमियम के भुगतान के जीवन बीमा की तरह के लाभ के हकदार हैं, चाहे वह जमा भविष्य निधि से संबद्ध हो या न हो तथा ऐसे लाभ बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से अधिक लाभदायक हो।

(2-बी) उपधारा (2-ए) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, बीमा योजना के अधीन आने वाली स्थापना में नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उसके किन्हीं या सभी प्रावधानों से छूट देने का प्रावधान बीमा योजना में किया जा सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उपलब्ध जीवन बीमा की तरह से भी लाभ बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से अधिक लाभदायक हों।

(3) जहां योजना के किन्हीं या सभी प्रावधानों से किसी स्थापना में नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को उस धारा के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है (चाहे यह छूट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नियोजित करने वाली स्थापना को दी गई हो या व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को दी गई हो) ऐसी स्थापना का नियोक्ता-

(ए) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उपलब्ध भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित खातों का रख-रखाव करेगा, विवरणिकाएं देगा, विनियोजन करेगा, निरीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा;

(बी) छूट प्रदान किए जाने के पश्चात् कभी भी, बिना केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के पेंशन, ग्रेच्युटी या भविष्य निधि जैसे समग्र लाभों में, जिनका ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग छूट दिए जाने के समय हकदार था, कमीं नहीं कर सकेगा; तथा

(सी) जहां ऐसा कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ देता है तथा इस अधिनियम के अधीन आने वाली स्थापना में पुनः नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई स्थापना की भविष्य निधि में जमा राशियां उसके नए खाते में चाहे वह पुनः नियोजक स्थापना की भविष्य निधि में हो या उस स्थापना पर लागू योजना के अंतर्गत स्थापित निधि में हो, केंद्रीय सरकार जैसा निर्धारित करे, उस समय सीमा में स्थानान्तरित करेगा।

(3-सी) जहां बीमा योजना के किन्हीं या सभी प्रावधानों से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (2ए) या उपधारा (2बी) के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, (चाहे यह छूट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नियोजित करने वाली स्थापना को दी गई हो, या व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणी को दी गई हो), ऐसी स्थापना का नियोक्ताः-

(ए) व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उपलब्ध जीवन बीमा जैसे लाभों या बीमा निधि संबंधित खातों का रख-रखाव करेगा, विवरणिकाएं देगा, विनियोजन करेगा, निरीक्षण की सुविधाएं देगा तथा केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रभारों का भुगतान करेगा;

(बी) छूट प्रदान किए जाने के पश्चात् कभी भी, बिना केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के जीवन बीमा जैसे समग्र लाभो में, जिनका ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग छूट दिए जाने के समय हकदार था, कभीनहीं कर सकेगा

(सी) XXX

(4) यदि कोई नियोक्ताः-

(ए) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदान की गई छूट की दशा में, उस उपधारा के अंतर्गत लगाई गई शर्तों या उपधारा (1ए) या उपधारा (3) के किसी भी प्रावधान की;

(एए) उपधारा (1सी) के अंतर्गत दी गई छूट की दशा में, उस उपधारा के अंतर्गत लगाई शर्तों की; तथा

(बी) उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई छूट की दशा में, उपधारा 3 के किसी भी प्रावधान की;

(सी) उपधारा 2ए के अंतर्गत दी गई छूट की दशा में, उस उपधारा के अंतर्गत लगाई गई शर्तों, या उपधारा 3ए के किसी भी प्रावधान की;

(डी) उपधारा (2बी) के अंतर्गत दी गई छूट की दशा में, उपधारा 3ए के किसी भी प्रावधान की; अनुपालन करने में असफल होता है, तो इस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई छूट, इसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा रद्द की जा सकेगी।

(5) जहां उपधारा 1, उपधारा 1सी, उपधारा 2, उपधारा 2ए, या उपधारा 2बी के अंतर्गत प्रदान की गई छूट रद्द की जाती है, तो ऐसे छूट प्रदत्त प्रत्येक कर्मचारी के नियोजित स्थापना की भविष्य निधि पेंशन निधि या बीमा निधि के खाते में जमा धन राशियां सेवाकाल पूर्ण होने से पूर्व नौकरी छोड़ने की दशा में नियोक्ता के हिस्से में से की गई कटौतियों की राशियों सहित योजना या पेंशन योजना में उल्लिखित समय सीमा तथा प्रक्रिया के अनुसार निधि या पेंशन निधि या बीमा निधि जैसा भी मामला हो, उसके खाते में जमा करने के लिए स्थानांतरण करेगा ।

(6) उपधारा सी के प्रावधानो के अधीन रहते हुए पेंशन योजना के अधीन आने वाली छूट प्राप्त स्थापना का नियोक्ता, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अंतर्गत दी गई छूट के बावजूद, भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान का वह भाग जो पेंशन योजना में उल्लिखित हो और उल्लिखित समय सीमा तथा प्रक्रिया के अनुसार पेंशन निधि में भुगतान करेगा।

17-ए. खातों का स्थानांतरणः-

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत आनेवाली स्थापना का कर्मचारी यदि अपनी नौकरी छोड़ देता है तथा ऐसी स्थापना में नौकरी प्राप्त कर लेता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऐसे कर्मचारी की, निधि में या उसके द्वारा छोड़ी गई स्थापना की भविष्य निधि में जमा धन राशि उसके द्वारा पुनः नौकरी प्राप्त की गई स्थापना की भविष्य निधि के उसके खाते में, यदि कर्मचारी ऐसा चाहे तथा उस भविष्य निधि के

नियम ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देते हों, तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में स्थानांतरित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन नहीं आने वाली स्थापना का कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर पुनः ऐसी स्थापना में नौकरी प्राप्त करता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत आती है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई स्थापना की भविष्य निधि में उसके खाते में जमा धन-राशियां, यदि कर्मचारी चाहे तथा उस भविष्य निधि के नियम ऐसी अनुमति दें, तो निधि के या पुनः नियोजन प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के खाते में, जो भी मामला हो, उसके खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

17-एए. 1956 के 31वें अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद यह अधिनियम प्रभावी होगाः- भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31वां अधिनियम) के किन्हीं भी प्रभावित करने वाले प्रावधानों के बावजूद इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

17-बी. स्थापना के हस्तांतरण के मामले में देनदारियों की जिम्मेदारीः- जहां किसी स्थापना का नियोक्ता उस स्थापना को विक्रय द्वारा, उपहार द्वारा, पट्टे पर या लाइसेंस या अन्य जिस किसी भी प्रकार से पूर्ण या आंशिक रूप से हस्तांतरण करता है तो वह नियोक्ता तथा वह व्यक्ति जिसे स्थापना का हस्तांतरण किया गया है, दोनों संयुक्त रूप से तथा सामूहिक रूप से इस अधिनियम या योजना या पेंशन योजना या बीमा योजना जैसा भी मामला हो, के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत देय अंशदान तथा अन्य राशियां, जो कि हस्तांतरण की तिथि तक देय हों, के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगेः

परंतु प्राप्तकर्ता की देनदारी हस्तांतरण में प्राप्त पूंजीगत साधनों की कीमत मात्रा तक ही सीमित होगी।

18. सद्विश्वास में की गई कार्यवाही को संरक्षणः- इस अधिनियम, योजना, या पेंशन योजना या बीमा योजना के हितार्थ सद-विश्वास से की गई/की जाने योग्य किसी भी कार्यवाही के लिए केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, धारा 7-ए में दर्शाए गए अधिकारी, निरीक्षण या अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध वाद, दावा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

18-ए. पीठासीन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे- अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उसके अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, धारा 7-ए में दर्शाये अधिकारी, तथा प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (1860 का 45वां) की धारा 21 के तात्पर्य से लोक सेवक माने जाएंगे।

19. शक्तियों का हस्तांतरणः- समुचित सरकार निर्देश जारी करके इस अधिनियम, योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली कोई शक्ति या प्राधिकार या क्षेत्राधिकार का, निर्देशों में उल्लिखित मामलों एवं परिस्थितियों के अधीन रहते हुए-

(ए) जहां केंद्रीय सरकार समुचित सरकार हो, केंद्रीय सरकार का अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार या राज्य सरकार का अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी जैसा भी अधिसूचना में उल्लेख हो; तथा

(बी) जहां राज्य सरकार समुचित सरकार हो, राज्य सरकार का अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख हो;

प्रयोग कर सकेगा।

20. निर्देश देने की केंद्रीय सरकार की शक्तिः- इस अधिनियम के बेहतर प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार जैसा उचित समझे, केंद्रीय बोर्ड को समय-समय पर निर्देश दे सकेगी तथा ऐसे निर्देश देने के उपरांत, केंद्रीय बोर्ड उन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

21. नियम बनाने की शक्तिः-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, नियम बना सकेगी।

(2) आगे लिखी शक्तियों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों संबंधी प्रावधान किए जा सकेंगे, यथा

(ए) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते तथा अन्य नियम तथा सेवा शर्तें;

(बी) अधिकरण में अपील दायर करने के प्रपत्र तथा प्रक्रिया, तथा समय सीमा तथा अपील दायर करने के लिए देय शुल्क;

(सी) धारा 8-सी की उपधारा (2) के अंतर्गत वसूली अधिकारी को अग्रेषित किए जाने के लिए प्रमाण-पत्र को प्रमाणित करने की प्रक्रिया; तथा

(डी) अन्य ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हों या आवश्यक हों।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के उपरांत, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में, जब संसद के एक या दो या अधिक क्रमिक अधिवेशनों की कुल तीस दिन की अवधि का हो, या अधिवेशन की समाप्ति से पूर्व या उक्त अधिवेशन के तत्काल बाद वाले अधिवेशन में दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन ऐसे नियम नहीं बनाने के लिए सहमत होते हैं, तो, वह नियम अपने संशोधित रूप में

प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे, जैसी भी सहमति हो, अतः ऐसे संशोधन या समाप्ति, नियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधानिकता को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

22. कठिनाईयां दूर करने की शक्तिः- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1988 से संशोधित किए गए हैं, लागू करने में यदि कोई कठिनाई प्रकट होती है तो, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके ऐसी कठिनाई को हटाने के लिए, जो आवश्यक या हितकर हो, इस अधिनियम के प्रावधान सम्मत प्रावधान बना ।

परंतु जिस तारीख को यह संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है, उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकेंगे।

(2) इस धारा के अंतर्गत दिए गए आदेश, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -